

## गरिई जाएगी पटना कलेक्ट्रेट की 350 साल पुरानी इमारत

### चर्चा में क्यों?

13 मई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने बहिर की राजधानी पटना के कलेक्ट्रेट कार्यालय की 350 साल पुरानी इमारत गरिने की इजाजत दे दी।

### प्रमुख बदि

- गौरतलब है कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) की पटना इकाई ने इस इमारत को बचाने के लिये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अंगरेज राज की हर इमारत संरक्षण करने लायक नहीं है।
- इमारत गरिने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया था कि इमारत शहर की सांस्कृतिक वरिसत का एक प्रमुख हस्सा है। इसे गरिने की बजाय संरक्षित किया जाना चाहिए।
- बहिर सरकार ने 31 जुलाई, 2019 को पटना कलेक्ट्रेट कार्यालय के इस जीर्ण-शीर्ण भवन को गरिने का फैसला कर आदेश जारी किये थे। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2020 में भवन में यथास्थिति बनाए रखने के नरिदेश दिए थे।
- बहिर शहरी कला और वरिसत आयोग ने 4 जून, 2020 को कलेक्ट्रेट परिसर को ध्वस्त करने की मंजूरी दी थी। 1972 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने बहिर में एक सर्वेक्षण किया था। उसने भी पटना के कलेक्ट्रेट को संरक्षित इमारत की सूची में शामिल नहीं किया था।
- उल्लेखनीय है कि इस इमारत का इस्तेमाल अंगरेज अफीम और नमक के भंडारण के गोदाम के रूप में करते थे।